



2026:AHC:125905

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० - 19631/2026

सतीश कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: सार्थक वर्मा

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं० - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

2. आवेदक मु.अ.सं० 605 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी.एन.एस., थाना- हापुड़ नगर, जिला- हापुड़ में, अवर न्यायालय में विचारण की लम्बितता के संलिप्त है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रतिकूल उद्देश्यों से झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनाकर्ता-संजय कुमार, निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत प्रतिनिधि, द्वारा विशाल कुमार तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई कि विशाल कुमार, मृतक बीमा पॉलिसीधारक मुकेश सिंघल के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



नामिती ने अन्य के साथ मिलकर बीमा लाभ के कपटपूर्ण दावे हेतु उसकी मृत्यु की साजिश रची। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बीमा कपट की ओर संकेत करने वाली अनेक विसंगतियां प्रकट होती हैं।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा वह नामित अभियुक्त संजय कुमार के अपराध-स्वीकृति कथन में सामने आया है। आवेदक मृतक के साथ मोटरसाइकिल सं० यूपी-15-सीएल-9305 पर यात्रा कर रहा था और मार्ग में प्राकृतिक आवश्यकता हेतु रुकने पर एक अज्ञात वाहन ने मृतक को टक्कर मारी। आवेदक ने 112 हेल्पलाइन पर सूचना दी, जिसके पश्चात पी.आर.वी. सं० एच.पी.आर.-2987 सहायतार्थ पहुंची तथा दोनों को नवजीवन हॉस्पिटल एण्ड ट्रॉमा सेण्टर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ ले गई। मृतक की गंभीर स्थिति के कारण उसे दि० 28.03.2024 को आनन्द हॉस्पिटल, मेरठ ले जाया गया, जहां वह दि० 02.04.2024 को प्रातः 6.00 बजे चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। सह-अभियुक्त-संजय कुमार ने दि० 20.04.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। सह-अभियुक्त संजय कुमार को इस न्यायालय द्वारा दि० 07.05.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० 44931 सन् 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त के समान है तथा वह भी समानता के आधार पर जमानत का अधिकारी है। आवेदक दि० 28.09.2025 से कारागार में है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपरोक्त तथ्यों को विवादित नहीं कर सके।

5. पक्षों के वकीलों की दलीलों, मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, हिरासत की अवधि और अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मानना है कि यह मामला जमानत के लिए उपयुक्त है। इसलिए, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



7. अभियुक्त-आवेदक **सतीश कुमार**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकायेगा नहीं।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाये।
- (iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध जैसा हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।